<u>न्यायालय - विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अ.नि.प्र), झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश - **सुनीता मीणा,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सैशन प्रकरण संख्या - 45/2021

(सी.आई.एस.नं.-45/2021)

राजस्थान राज्य

(अभियोगी)

बनाम

1- शिवलाल पुत्र रामलाल, उम्र 32 वर्ष,

2- कालूलाल पुत्र रामलाल, उम्र 32 वर्ष,

निवासीगण लंकापुरी, पुलिस थाना भालता, जिला-झालावाड़ (राज.)

3- शिवलाल पुत्र सालगराम, उम्र 24 वर्ष, निवासी पचानखेड़ी, पुलिस थाना भालता, जिला-झालावाड़ (राज.) - (मरूफर)

– अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 336/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री महेश पाटीदार, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2- श्री शैलेन्द्र पोसवाल, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः- 12.03.2026**

नोटः- प्रकरण में अभियुक्त **शिवलाल** पुत्र सालगराम, निवासी पचानखेड़ी अभी **मफरूर** है तथा प्रकरण में शेष अभियुक्तगण शिवलाल पुत्र रामलाल एवं कालूलाल पुत्र रामलाल, निवासीगण लंकापुरी के संबंध में निर्णय किया जा रहा है।

प्रकरण के संक्षप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 08.08.2020 को परिवादी विनोद पुत्र भैरूलाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी सरड़ा, थाना भालता ने मय रोहित पुत्र रामबाबू, उम्र 25 वर्ष, निवासी सरड़ा के उपस्थित पुलिस थाना भालता होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-1), इस आशय की पेश की कि वह ग्राम सरड़ा का रहने वाला है। उसके दोस्त रोहित को कस्बा भालता की शराब की दुकान निकली है, जिसकी साफ-सफाई करने के लिये वह भालता में आया था। समय करीब 10.30 पी.एम. की बात है। वह दुकान की साफ-सफाई कर रहा था

कि अचानक लंकापुरी का शिवलाल पुत्र रामलाल, जाति गुर्जर, निवासी लंकापुरी तथा शिवलाल पुत्र सालगराम, जाति गुर्जर, निवासी पचानखेड़ी तथा कालूलाल पुत्र रामलाल, जाति गुर्जर, निवासी लंकापुरी के एकराय होकर ठेके पर आये व आते ही गाली-गलौच कर लकड़ियों से मारपीट करने लग गये व पत्थर फैंके, जिससे उसके व कालू पुत्र प्रभूलाल तंवर, ग्राम बिन्दली के चोटें आयी तथा उसके बांये पैर की पिण्डली पर चोटें आई, मुकुट के दाहिने पैर पर चोटें आई। शिवलाल गुर्जर पचानखेड़ी, शिवलाल गुर्जर लंकापुरी व कालूलाल गुर्जर लंकापुरी ने बिना कारण ही ठेके पर आकर मारपीट की है। इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। वह डरकर भागने लगा, तो इन लोगों ने आड़े फिरकर रोक कर लातों-घुसों से मारपीट की, जिससे चोटें आई, इत्यादि।

2- उक्त आशय के तथ्यों की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना भालता पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-64/2020, अन्तर्गत धारा 341, 323, 336, 504/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 22.02.2021 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध धारा 341, 323, 504, 336/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अपराध में आरोप पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3- विचारण के दौरान अभियुक्त **शिवलाल** पुत्र सालगराम, निवासी पचानखेड़ी के न्यायालय से अनुपस्थित होने पर दिनांक 24.08.2022 को व पुनः दिनांक 27.01.2026 को मफरूर घोषित किया गया, जो वर्तमान में मफरूर है।

4- बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 17.09.2022 को अभियुक्तगण शिवलाल पुत्र रामलाल व कालूलाल पुत्र रामलाल को धारा 341, 323, 504, 336/34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5- दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.-1 कालूसिंह, पी.ड.-2 विनोद, पी.ड.-3 मुकुट बिहारी व पी.ड.-4 डॉ. सत्येन्द्र सिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1, चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-2, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.-3, पुलिस बयान कालूसिंह प्रदर्श पी.-4, परिवादी का जाति प्रमाण पत्र

प्रदर्श पी.-5, पुलिस बयान मुकुट बिहारी प्रदर्श पी.-6, चोट प्रतिवेदन मजरूब मुकुट बिहारी प्रदर्श पी.-6, चोट प्रतिवेदन मजरूब विनोद प्रदर्श पी.-7 व चोट प्रतिवेदन मजरूब कालूलाल प्रदर्श पी.-8 को प्रदर्शित करवाया।

6- साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. (351 बी.एन.एस.एस.) किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए, गवाहान द्वारा झूठ बोलना व उनका निर्दोष होना बताते हुए, साक्ष्य सफाई में पेश करना चाहा, यद्यपि अवसर दिये जाने पर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की, जिस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गयी।

7- बहस अन्तिम उभय पक्षकारान सुनी गयी।

8- दौराने बहस विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियोजन पक्ष के समस्त साक्षीगण ने अभियोजन कहानी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पक्ष के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गयी है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से भिन्न कथन अपने सशपथ बयानों में किये है। प्रकरण के अन्य मजरूबान पी.ड.-1 कालूसिंह व पी.ड.-3 मुकुट बिहारी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा परिवादी पी.ड.-2 विनोद के बयानों की ताईद नहीं की है। प्रकरण में कोई स्वतन्त्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण नहीं है। गवाह पी.ड.-4 डॉ. सत्येन्द्र सिंह ने मजरूबान के चोटें गिरने पड़ने से आने की संभावना व्यक्त की है। प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी भी अभियोजन पक्ष की ओर से पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10- उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः-

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.04.2020 को रात के करीब 10.30 बजे अथवा इसके लगभग मौजा भालता में अन्य

सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी विनोद के साथ मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उसे राह जाते हुए को रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करते हुए, उसे इच्छित दिशा में जाने से निवारित किया, जिस दिशा में जाने का उसे विधिक अधिकार था तथा परिवादी विनोद व मजरूबान कालूलाल व मुकुट बिहारी के साथ इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उन्हें उपहति कारित होगी, स्वेच्छया कुन्दालय हथियार लकड़ियों व लातों-घुसों इत्यादि से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा परिवादी पक्ष के उपर उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से पत्थर फैंककर उनका मानव जीवन को संकट उत्पन्न किया तथा परिवादी पक्ष की लोक शांति भंग करने के आशय से उनके साथ गाली-गलौच कर उन्हें अपमानित व प्रकोपित किया तथा परिवादी विनोद के जाति से धोबी होकर अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसके साथ उक्त आपराधिक कृत्य किये ?''

11- उक्त अवधारणीय बिन्दु की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.-1 कालूसिंह स्वयं मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 5-6 साल पहले की बात है। उसके सामने कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं हुआ। उसने किसी के साथ मारपीट व गाली-गलौच नहीं देखी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटना की चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह मजरूब **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा विशिष्ठ लोक अभियोजक द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार करता है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फिर कथन किया है कि वह सिर्फ विनोद के साथ गया था। इसके अलावा उसे और कोई जानकारी नहीं है। आगे स्वीकार किया है कि घटना की चॉक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.-2 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 पर उसके हस्ताक्षर है। फिर कथन किया कि पुलिस ने उसके थाने पर साईन करवा लिये थे। उसे नक्शा मौका पढकर नहीं सुनाया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि विनोद और वह एक ही दुकान पर काम करते है। वह लडाई-झगडे के बाद मौके पर पहुंचा था। फिर वह विनोद को थाने व अस्पताल लेकर गया था।

12- गवाह पी.ड.-2 विनोद स्वयं परिवादी/मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि करीब 4-5 साल पहले रात के 9-10 बजे की बात है। उसके दोस्त रोहित की शराब की दुकान भालता में थी, जिस पर वह साफ-सफाई करने आया था। वह वहां पर साफ-सफाई कर रहा था, तो वहां पर शिवलाल लंकापुरी व शिवलाल, कालूलाल आये और आकर उन्होंने उससे दारू मांगी। उसने कहा कि वह तो यहां साफ-सफाई करने आया है। इतने में उससे गाली-गलौच करने लगे और पत्थर फेंकने लगे। उसके साथ मारपीट करने लगे। उससे कहा कि धोबडे तू हमें दारू नहीं देगा। उससे मारपीट की, जिससे उसके पांव में चोट आई थी। वह रिपोर्ट कराने थाना भालता गया था। उसके साथ मुकुट और कालूसिंह रिपोर्ट करने गये थे। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 है व घटना की चॉक एफ आई आर प्रदर्श पी.-2 है, जिन दोनों पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ की व उसके बयान लिये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.-5 है। पुलिस ने उसके शरीर पर आई चोटों का मेडीकल कराया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि जिस जगह लडाई-झगडा हुआ वह शराब की दुकान थी और पहले भी शराब की दुकान थी। घटना रात के 9-10 बजे की थी। आगे स्वीकार किया है कि विवाद शराब लेने-देने को लेकर हुआ था तथा मुलजिमान ने शराब मांगी, उसके द्वारा मना करने पर कि शराब नहीं है, तो उनको शक हुआ कि जान-बूझकर शराब नहीं दे रहा, इस बात पर लडाई-झगडा हुआ। आगे स्वीकार किया है कि मुलजिमान और उसके बीच कोई पुराना विवाद नहीं है। उसने मुलजिमान को पहले कभी नहीं देखा और ना ही उनसे उसकी पहले की कोई पहचान है।

13- गवाह पी.ड.-3 मुकुट बिहारी स्वयं मजरूब है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। उसके बयान नहीं लिये। उसके साथ कोई लडाई-झगडा, गाली-गलौच व कोई मारपीट नहीं हुई। उसके सामने कोई नक्शा मौका नहीं बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है, जिसने अभियोजन कहानी का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी.-3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फिर कथन किया कि पुलिस ने उससे खाली कागजों पर साईन कराये थे।

14- गवाह पी.ड.-4 डॉ. सत्येन्द्र सिंह चिकित्सक साक्षी है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.04.2020 को सी.एच.सी. अकलेरा में एस.एम.ओ. के

पद पर कार्यरत रहते हुए, पुलिस थाना भालता के प्रतिवेदन पर उसके द्वारा मजरूब **मुकुट बिहारी** के शरीर पर आई चोटों का मेडीकल किया था। दौराने परीक्षण मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई थी- चोट सं.-1 दर्द की शिकायत 7*5 सेमी दाहिने पैर में घुटने से नीचे। उक्त चोट कुंदालय से कारित थी। जिसकी अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी व साधारण प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार किया गया चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। उसी दिन उसके द्वारा एक अन्य मजरूब **विनोद** के शरीर पर आई चोटों का मेडीकल किया था। दौराने परीक्षण मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई थी- चोट सं.-1 दर्द की शिकायत 2*1 सेमी बांए पैर में घुटने से नीचे। चोट सं.-2 खरोंच 2*1 सेमी दाहिनी कोहनी पर। उक्त दोनों चोटें कुंदालय से कारित थी। जिसकी अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी व साधारण प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार किया गया चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। उसी दिन उसके द्वारा एक अन्य मजरूब **कालूलाल** के शरीर पर आई चोटों का मेडीकल किया था। दौराने परीक्षण मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें पाई गई थी- चोट सं.-1 खरोंच 1*1 सेमी बांई कोहनी पर। चोट सं.-2 दर्द की शिकायत दाहिनी जांघ पर। चोट सं.-3 दर्द की शिकायत बांई जांघ पर। चोट सं.-4 खरोंच 2*1 सेमी बांए कंधे पर। उपरोक्त चोटें कुंदालय से कारित थी। जिसकी अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी व साधारण प्रकृति की थी। उसके द्वारा तैयार किया गया चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.-8 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह अंकित है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गयी **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी.-6, 7 व 8 की वर्णित चोटें ठोस धरातल पर गिरने पडने से आना संभव है।

15- अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के संबंध में परिवादी पी.ड.-2 विनोद व उसके द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 का तुलनात्मक अवलोकन किया जाये तो तहरीरी रिपोर्ट के अनुसार जब परिवादी विनोद शराब की दुकान पर साफ-सफाई कर रहा था तो अभियुक्तगण आये और आते ही गाली-गलौच कर उसके साथ लकड़ियों से मारपीट की, पत्थर फैंके, जिससे इसके व कालू पुत्र प्रभूलाल के चोटें आयी तथा इसके बांये पैर की पिंडली पर चोट आयी व मुकुट के दाहिने पैर पर चोट आयी तथा जब यह डरकर भागने लगा तो अभियुक्तगण ने आड़े फिरकर रोककर लातों-घुसों से मारपीट की। लेकिन न्यायालय में गवाह पी. ड.-2 के रूप में अपने सशपथ बयानों में परिवादी ने मात्र यह कथन किया है कि

अभियुक्तगण इसके साथ गाली-गलौच करने लगे और पत्थर फैंकने लगे, लकड़ियों से मारपीट किये जाने बाबत् कोई कथन इसने अपने बयानों में नहीं किये है। जहां तक परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्तगण ने इससे कहा कि धोबड़े तू हमें दारू नहीं देगा तो इस संबंध में परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकारोक्ति की है कि अभियुक्तगण और उसके बीच कोई पुराना विवाद नहीं है तथा इसने अभियुक्तगण को पहले कभी नहीं देखा और ना ही उनसे इसकी पहले से कोई पहचान है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण ने धोबड़े कहकर अपमानित किया हो। ऐसी कोई कथन परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में भी अंकित नहीं किये है। अतः जबकि अभियुक्तगण व परिवादी एक-दूसरे से परिचित ही नहीं थे। ऐसी दशा में परिवादी के उक्त कथनों पर सन्देह उत्पन्न होता है कि अभियुक्तगण द्वारा उसे जाति सूचक शब्द कहे हो तथा स्वयं परिवादी की स्वीकारोक्ति से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण उसके अनुसूचित जाति का सदस्य होने के तथ्य से परिचित नहीं थे। तहरीरी रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा की गयी मारपीट में कालू पुत्र प्रभूलाल व मुकुट के भी चोटें आयी और उक्त कालू व मुकुट क्रमशः गवाह पी.ड.-1 व पी.ड.-3 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जो दोनों ही पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित घटना बाबत् कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं देते है। अतः ऐसी दशा में जबकि परिवादी पी.ड.-2 विनोद ने स्वयं द्वारा दी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.-1 के विरोधाभासी कथन किये है तथा स्वयं की मुख्य परीक्षा में कहे गये कथनों के विरोधाभासी कथन अपनी प्रतिपरीक्षा में किये है तथा अन्य मजरूबान के रूप में परीक्षित गवाह पी.ड.-1 कालूसिंह व पी.ड.-3 मुकुट बिहारी ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। ऐसी दशा में चिकित्सक साक्षी पी.ड.-4 डॉ. सत्येन्द्र सिंह की सशपथ साक्ष्य भी औपचारिक प्रकृति की रह जाती है। अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः अभियुक्तगण 1- शिवलाल पुत्र रामलाल, उम्र 32 वर्ष व 2- कालूलाल पुत्र रामलाल, उम्र 32 वर्ष, निवासीगण लंकापुरी, पुलिस थाना भालता, जिला-झालावाड़ (राज.) को धारा 341, 323, 504, 336 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. एवं धारा 3-2(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों से

सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके बाबत हाजिरी निरस्त किए जाते हैं।

2- प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मजरूबान को पीड़ित प्रतिकर योजना के अधीन प्रतिकर दिलवाये जाने हेतु अनुशंषा किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

3- प्रकरण में अभियुक्त **शिवलाल** पुत्र सालगराम, उम्र 24 वर्ष, निवासी पचान खेड़ी, पुलिस थाना भालता, जिला-झालावाड़ (राज.) अभी मफरूर है। अतः पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्त की मफरूरी का लालस्याही से नोट अंकित किया जावे तथा पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक **12.03.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनीता मीणा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.),
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KAMLESH TAILOR
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by KAMLESH TAILOR
Date: 2026.03.19 16:17:24 +0530

नोट:- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।